(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-3007-एक/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 08.07.2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त 1/2 तह0 विदिशा प्रकरण क्रमांक 20/अ-12/2013-14

भगवान सिंह पुत्र श्री बालमुकुन्द जाति मीणा
निवासी ग्राम बालावरखेड़ा तह0 व जिला विदिशा (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. कालूराम पुत्र श्री गंगाराम (मृत वारिसान)
   - अ. पप्पू मीना आ0 श्री कालूराम मीना
   - ब. रामपाल मीना आ0 स्व0 श्री कालूराम मीना
   - स. रवि मीना आ0 श्री कालूराम मीना
   - द. विकास मीना आ0 स्व0 श्री कालूराम मीणा
   - ई. श्रीमती रूपाबाई पत्नी स्व0 री कालूराम मीना
   - फ. पुष्पाबाई पुत्री स्व0 श्री कालूराम मीना

   निवासीगण ग्राम बालाबरखेड़ा तह0
   व जि0 विदिशा (म.प्र.)
2. हल्केराम पुत्र श्री गंगाराम जाति मीणा
   निवासी ग्राम बालाबरखेड़ा तह0
   व जि0 विदिशा (म.प्र.)
3. म0प्र0 शासन .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर
अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं

आदेश

(आज दिनांक....13/3/18.....को पारित)

यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत्त 1/2 तह0 विदिशा प्रकरण क्रमांक 20/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2014 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त 1/2 तह0 विदिशा के समक्ष खसरा नं. 38 रकवा 0.575 हे. के सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया। जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 08.07.2014 द्वारा सीमांकन आदेश पारित किया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.02.2015 को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस का समय चाहा गया था, परंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए है। अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4. अनावेदक क्र. 1 एवं 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए हैं कि तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली के आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर अवैध कब्जे के छोड़ने के निर्देश दिए गए तथा तहसीलदार महोदय के आदेश को यथावत रखा गया। परंतु आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की न तो विधिवत अपील की है न ही कब्जा छोड़ा है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि आवेदक मात्र अवैध कब्जा बनाए रखने के लिए यह निगरानी को लम्बा खींचना चाहते हैं तथा की गई सीमांकन की कार्यवाही को बिना किसी ठोस आधार के अवैध बताना चाहते हैं इसलिए किया गया सीमांकन विधिवत न होने से निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि सीमांकन की कार्यवाही एवं बेदखली अंतर्गत धारा-250 की कार्यवाही विधिपूर्वक नहीं है। सीमांकन विधि पूर्वक हुआ है और यदि आवेदकगण मात्र यह चाहने के लिए कि सीमांकन दुबारा करवाया जाये ताकि कोई विवाद न हो, अविधिपूर्वक है तथा उन्हें सीमांकन कराने के लिए प्रथक से एम.पी.एल.आर.सी. में अधिकार है कि वे चाहें तो एस.एल.आर.

से अथवा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके अपनी भूमि का विधिवत सीमांकन करायें।

4. अनावेदक क्र. 3 शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण सीमांकन का है । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में सीमांकन की जो कार्यवाही है वह अवैधानिक है। अभिलेख में जो सूचनापत्र संलग्न है उसमें आवेदक का नाम अवश्य है परंतु उसे सूचना दी जाना अभिलेख से प्रमाणित नहीं है क्योंकि सूचनापत्र पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । इसके अतिरिक्त सूचनापत्र में अन्य 5 सरहदी काश्तकारों के भी नाम हैं परंतु सूचनापत्र पर केवल एक व्यक्ति के ही हस्ताक्षर हैं । प्रतिवेदन के साथ जो पंचनामासंलग्न है उसमें भी उनके उपस्थित रहने या हस्ताक्षर न करने आदि का कोई उल्लेख नहीं है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में सीमांकन की जो कार्यवाही है वह विधिसम्मत नहीं ठहराई जा सकती ।अत: नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी प्रतिवेदन से सहमति बताते हुए सीमांकन को प्रमाणित करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभयपक्षों एवं अन्य सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना देकर प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही विधिवत करें ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर